कार्यालय, अध्यक्ष काउंसलिंग समिति एवं संचालक तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश

टी-2, टैगोर छात्रावास, श्यामला हिल्स, भोपाल-462002

क्रमांक-शैक्ष./4/जी/2018/541. भोपाल, दिनांक 24/04/2018

प्रति,

1. संचालक/प्राचार्य,
   निजी क्षेत्र की समस्त बी.ई./बी.फार्मेसी/डिप्लोमा फार्मेसी एवं
   बी.आर्किटेक्चर पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थायें,
   मध्यप्रदेश।

2. संचालक/प्राचार्य,
   निजी क्षेत्र की डिप्लोमा पाठ्यक्रम (पीपीटी के माध्यम से प्रवेश)
   संचालित करने वाले संस्थायें,
   मध्यप्रदेश।

विषय:- संस्थागत प्राथमिकता सीटें (स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 10 प्रतिशत) आवंटित किये जाने संबंधी।

--00--

संचालनालय तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत निजी क्षेत्र में संचालित बी.ई., बी.फार्मेसी/डिप्लोमा फार्मेसी, बी.आर्किटेक्चर एवं पीपीटी डिप्लोमा (तीन वर्षीय) पाठ्यक्रम की संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2018-19 में संस्थागत प्राथमिकता सीटों पर प्रवेश देने के इच्छुक संस्थान अनुमति प्राप्त करने के लिए निम्नानुसार कार्यवाही करें :-

1. निजी क्षेत्र की बी.ई.,बी.फार्मेसी/डिप्लोमा फार्मेसी, बी.आर्किटेक्चर एवं पीपीटी डिप्लोमा पाठ्यक्रम की संस्थाओं में ही "संस्थागत प्राथमिकता सीटें" दी जाना है, अतः उक्त पाठ्यक्रम संचालित करने वाली निजी क्षेत्र की संस्थान ही आवेदन करें।
2. संसथाओं द्वारा "सहमति शपथ पत्र" (संलग्न) रू 100/- के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर कार्यालय, अध्यक्ष काउंसलिंग समिति, टैगोर छात्रावास, श्यामला हिल्स, भोपाल में पत्र वाहक (व्यक्तिगत रूप से) द्वारा आवेदन के साथ जमा करवायें।
3. आवेदन प्रोसेसिंग शुल्क रू 20000/- (बीस हजार) प्रति संस्था (बी.ई., बी.फार्मेसी/डिप्लोमा फार्मेसी ,बी. आर्किटेक्चर, पीपीटी डिप्लोमा संस्थाओं के लिए पृथक-पृथक) "संचालक तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश" के नाम से भोपाल में देय ड्राफ्ट आवेदन के साथ प्रस्तुत करें।
4. संबंधित संस्था वर्ष 2018-19 के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्वीकृति की प्रतिलिपि संलग्न करें।
5. "संस्थागत प्राथमिकता सीटों" के संबंध में संस्था द्वारा आवेदन प्रस्तुत न करने पर मान लिया जावेगा कि संस्था "संस्थागत प्राथमिकता सीटें" लेने की इच्छुक नहीं है।

संस्था द्वारा उपरोक्त संबंध में दिनांक 16 मई, 2018 तक उपरोक्तानुसार सभी दस्तावेज वाहक के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से कार्यालय अध्यक्ष काउंसलिंग समिति, टैगोर छात्रावास, श्यामला हिलस, भोपाल में जमा करवाएँ।

संचालक तकनीकी शिक्षा
मध्यप्रदेश

Malvi sir

(रु 100/ के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी करवाकर प्रस्तुत करने हेतु)

<u>सहमति हेतु शपथ-पत्र</u>

मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण अधिनियम-2007 के अंतर्गत जारी प्रवेश नियम-2008 एवं (यथा संशोधित) के अंतर्गत यह संस्था

संस्था का नाम :- ....

पाठ्यक्रम का नाम :- ....

कुल प्रवेश क्षमता :- ....

(एआईसीटीई द्वारा सत्र 2018-19 में दी गई अनुमति अनुसार)

संस्थागत प्राथमिकता के आधार पर 10 प्रतिशत स्थान भरे जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान करती है तथा निम्नलिखित बंधनकारी शर्तों के अधीन होगी तथा उनको मान्य करेंगी :-

1) संस्था अपने यहाँ प्रवेशित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के सभी विद्यार्थियों को शिक्षण शुल्क में 10 प्रतिशत छूट देने की सहमति एवं वचनबद्धता देती है।
2) संस्था इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी (Competent Authority) द्वारा जारी सभी निर्देशों को अक्षरशः पालन करने हेतु वचनबद्ध है।
3) संस्था को स्पष्ट रूप से ज्ञात है कि उपरोक्तानुसार 10 प्रतिशत संस्थागत प्राथमिकता के स्थान स्वीकृत होने पर संस्था स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 10 प्रतिशत स्थानों को सर्वप्रथम राज्य स्तरीय सामान्य प्रवेश परीक्षा में क्रमस्थापना (रैंकिंग) के आधार पर योग्यताक्रम में एवं तत्पश्चात् स्थान रिक्त रहने की दशा में अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के योग्यताक्रम में और एआरसीटीई/राज्य शासन द्वारा निर्धारित पात्रता मापदण्ड पूरा करने पर तथा समक्ष प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार केन्द्रीयकृत काउंसलिंग के चरण समाप्त होने के पश्चात् भरने की अनुमति दी जायेगी।
4) संस्था को स्पष्ट रूप से ज्ञात है कि संस्थागत प्राथमिकता की सीटों का एक बार विकल्प का प्रयोग कर लिए जाने के पश्चात् यदि संस्था इन स्थानों पर प्रवेश नहीं कर पाती है अथवा इन सीटों पर आंशिक रूप से प्रवेश करती है, तो इन रिक्त सीटों के संबंध में प्रवेश नियम-2008 (यथा संशोधित) तथा समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी निर्देश मान्य होंगे।
5) संस्था को स्पष्ट रूप से ज्ञात है कि इस प्रवर्ग के अंतर्गत प्रवेशित अभ्यर्थी को सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में अपनी संस्था परिवर्तन का अधिकार नहीं होगा तथा संस्था द्वारा उपरोक्त संबंध में अभ्यर्थी को प्रवेश के पूर्व इस जानकारी से अवगत करा दिया जावेगा। इन सीटों पर प्रवेश निरस्त कराये जाने के कारण खाली होने वाले स्थान रिक्त रखे जाएंगे। किसी भी स्तर पर, यदि यह पाया जाता है कि किसी संस्था अथवा अभ्यर्थी द्वारा मिथ्या या गलत जानकारी के आधार पर या सुसंगत तथ्यों को छिपाकर प्रवेश प्राप्त किया जाता है अथवा दिया गया है तो सक्षम प्राधिकारी को समस्त ऐसे प्रवेश निरस्त करने का अधिकार होगा तथा ये स्थान निरस्ती उपरांत रिक्त रखे जा सकेंगे।

Malvi sir

6) (अ) संस्था को स्पष्ट रूप से ज्ञात है कि संस्था नियमानुसार संस्थागत प्राथमिकता सीटों के लिए सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि के लिये रू 1.50 लाख प्रतिवर्ष, प्रति विद्यार्थी फीस लेगी तथा इस सूचना "प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति (AFRC) ", मध्यप्रदेश, भोपाल को दी गई है।

अथवा

(ब) संस्था रू 1.5 लाख प्रतिवर्ष प्रति विद्यार्थी शुल्क से कम शुल्क लेने हेतु इच्छुक है अतः इस बिन्दु के पालनार्थ संस्था द्वारा घोषित किया जाता है कि :-

संस्था प्राथमिकता सीटों के लए शिक्षण शुल्क* रू ....

(....मात्र) प्रतिवर्ष लेना निर्धारित किया है तथा इसकी सूचना "प्रवेश एवं शुल्क विनियामत समिति (AFRC)" , मध्यप्रदेश को दी गई हैं।

मैं ....(संचालक/प्राचार्य का नाम) पिता ....

संस्था का नाम ....(सचिव/अध्यक्ष का नाम) पिता ....संस्था की

सोसायटी/ट्रस्ट का नाम...

पंजीयन क्रमांक/दिनांक ....शपथ पूर्वक घोषित करते हैं कि उपरोक्त क्रमांक 1 से 6 तक समस्त बिन्दुओं का पालन करेंगे तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी समस्त निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जावेगा।

संचालक/प्राचार्य
(हस्ताक्षर एवं सील)

अध्यक्ष/सचिव-सोसायटी/ट्रस्ट
(हस्ताक्षर एवं सील)

*("प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति (AFRC)" द्वारा सामान्य पूल की सीटों के लिए निर्धारित शिक्षण शुल्क से कम शुल्क निर्धारित नहीं की जा सकती है अर्थात् (AFRC) द्वारा निर्धारित शिक्षण अथवा अधिकतम रू 1.5 लाख प्रतिवर्ष के बीच कोई भी शुल्क निर्धारित किया जा सकता है उदाहरणार्थ AFRC द्वारा संस्था के लिये वार्षिक शिक्षण शुल्क रू 0.45 लाख निर्धारित किया गया है तो संस्था संस्थागत सीटों के लिये रू 0.45 लाख से रू 1.50 लाख प्रतिवर्ष तक अथवा उक्त सीमा के अंदर कोई भी शुल्क निर्धारित कर सकती है तथा उक्त निर्धारित शुल्क प्रत्येक वर्ष के लिये सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि के लिये मान्य होगी)